

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, पोस्ट-बड़ासी, देहरादून।

331

संख्या / मुख्य 0/ खनन / 42/ सोपस्टोन / बागे 0/ भूखनि 0ई 0/ 2021-22,
कार्यालय-ज्ञाप

दिनांक 02 जून 2022

मैं 0 धौलीनाग माइंस एण्ड मिनरल्स, नयना विहार, दमुवादुंगा कैनाल रोड, कॉल टैक्स, काठगोदाम हल्द्वानी, जिला नैनीताल भागीदार 1— श्री माया प्रसाद जोशी पुत्र श्री हरीश चन्द्र जोशी, निवासी ग्राम तुनेरा (कोटगांव), पो 0 विंधारतोला, तहसील व जनपद बागेश्वर 2— श्री जगदीश चन्द्र लोहनी पुत्र श्री हरीश चन्द्र लोहनी निवासी ग्राम गाडगांव, तहसील व जनपद बागेश्वर, 3— श्री दीप चन्द्र पन्त पुत्र श्री पूरन चन्द्र पन्त ग्राम गणुवा सिरमोली, पो 0 ढपटी, तहसील काण्डा, जनपद बागेश्वर हाल निवासी नयना विहार, कैनाल रोड, कॉल टैक्स, काठगोदाम, तहसील हल्द्वानी जनपद नैनीताल एवं 4— श्री नवीन कुमार पुत्र श्री जीत सिंह, ग्राम जलमानी, पो 0 स्यांकोट, तहसील व जनपद बागेश्वर के पक्ष में औद्योगिक विकास अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1449/VII-A-I/2021/1(34)/21, दिनांक 01 अक्टूबर 2021 के द्वारा जनपद बागेश्वर की तहसील काण्डा के ग्राम गणुवा सिरमोली के क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत 3.937 है 0 एवं सीमांकित कुल में 3.784 है 0 भूमि में खनिज सोपस्टोन का 25 वर्ष की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) पर स्वीकृत एवं सीमांकित क्षेत्रफल की खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762/खनन/गौण खनिज-मार्झिनिंग प्लान/26/भूखनि 0ई 0/2015-16, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 तथा उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68-ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589/VII-1/2015/68-ख/2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति- 2015 के प्रस्तर-3(दो)(1) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 34 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, श्री संदीप कुमार, आर०क्य०पी० पंजीकरण संख्या RQP/UKGMU/No.013.YEAR-2019 द्वारा तैयार की गयी खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु खनन कार्य सेमी मैक्नाइज्ड मार्झिनिंग से बिना ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के प्रथम वर्ष में 10515 टन, द्वितीय वर्ष में 13094 टन, तृतीय वर्ष में 13470 टन, चतुर्थ वर्ष में 14608 टन एवं पंचम वर्ष में 15426 टन के उत्पादन हेतु प्रस्तुत खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :—

शर्त/प्रतिबन्धः—

1. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाएं असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शाई गई हैं, तो दस्तावेज का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
2. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2001 के अन्तर्गत अपेक्षित कोई सूचना/विषय वस्तु का संगुप्त रखना/छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नहीं दिया जाता है, तो खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।
3. खनन कार्य एवं खनिजों के खनिज अन्वेषण/खनिज भण्डारण/खनिज का आंकलन एवं सत्यापन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना होगा। अनुमोदित खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुपालन न किये जाने की दशा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2001 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
4. आवेदक द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति से पूर्व मशीनीकृत मार्झिनिंग हेतु ₹ 2.00 लाख बैंक गारन्टी निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म मशीनीकृत हेतु निदेशक के पक्ष में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. आवेदक द्वारा औद्योगिक विकास अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1449/VII-A-I/2021/1(34)/21, दिनांक 01 अक्टूबर 2021 द्वारा निर्गत आशय पत्र (Letter of Intent) की शर्त संख्या-5 के अनुसार आवेदक द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का 03A0 2601(अ) दिनांक 07 अक्टूबर 2014 के क्रम में जारी शासनादेश सं 1621/VII-1/212-ख/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना होगा एवं तदनुसार पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

6. कार्यालय ज्ञाप संख्या 1449 /VII-A-I /2021/1(34)/21, दिनांक 01 अक्टूबर 2021 के द्वारा निर्गत आशय पत्र की समस्त शर्तों का अनुपालन आशय पत्र निर्गत के दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से अगामी 06 माह अर्थात् 31 मार्च 2022 तक की जानी थी जिसमें वर्तमान तक लगभग 02 माह का विलम्ब हो चुका है अगर शासन द्वारा उक्त आशय पत्र की अग्रेतर समयावधि नहीं बढ़ायी जाती है तो यह खनन योजना स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
 7. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते हैं या समय-समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते हैं, को छोड़कर अनुमोदित की जाती है।
 8. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम-1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय-समय पर दिये जाये लागू होंगे।
 9. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा० ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नहीं करती है।
 10. इस खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
 11. प्रत्येक छार्माई में खनन क्षेत्र की अनुमोदित खनन योजना के अनुसार आंकलन जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म को आंकलन आख्या प्रस्तुत की जानी होगी।
 12. व्यापारिक सुरक्षास्वास्थ्य और काम करने की स्थिति Code-2020 की अनुपालना की जानी होगी।
 13. खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/कियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।
 14. आवेदक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
 15. भू-सदर्भित खनन पट्टा प्लान्स समिक्षण उपरान्त भू-सदर्भित वैकटोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए इसके त्रुटीपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित आर०क्यू०पी तथा आशयपत्र धारक जिम्मेदार होंगें।
 16. अनुमोदित खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना की स्कैन प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर०क्यू०पी०/आवेदक का होगा।
- संलग्नक: खनन योजना
 एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना
 की अनुमोदित प्रति।

०५६/२०२२
 (एस० एल० पैट्रिक)
 निदेशक।

संख्या / मु०ख०/खनन/42/सोपस्टोन/बाग०/भूखनि०ई०/2021-22,
 प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

तददिनांकित

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. सदस्य सचिव राज्यस्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SELAA) उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिला खान अधिकारी, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर।
5. मै० धौलीनाग माइंस एण्ड मिनरल्स, नयना विहार, दमुवादुंगा कैनाल रोड, कॉल टैक्स, काठगोदाम हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
6. श्री संदीप कुमार, आर०क्यू०पी०।

०५६/२०२२
 (एस० एल० पैट्रिक)
 निदेशक।